बिहार सरकार
गृह विभाग
अभियोजन निदेशालय

मुख्य सचिवालय, ब्लॉक–2, द्वितीय तल, पटना–800015

कार्यालय आदेश संख्या 304 / 2026

सं0सं0–अ0नि0 (02) 84 / 2026 / नि0सं0

वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1617(24) दिनांक 13.08.2026 द्वारा प्राप्त उपार्जित अवकाश आदेयता प्रतिवेदन के आलोक में श्री अखिलेश कुमार चतुर्वेदी, अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम–227 एवं 230 के अन्तर्गत पारिवारिक कारण हेतु दिनांक 17.07.2026 से 28.07.2026 तक कुल 12 (बारह) दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इसमें प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 / –
उप सचिव।

ज्ञापांक: अ0नि0 (02) 84 / 2026 / नि0सं0 2726 दिनांक 06/10/26

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, पटना / मुख्य अभियोजक, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना / श्री अखिलेश कुमार चतुर्वेदी, अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

ह0 / –
उप सचिव।

ज्ञापांक अ0नि0 (02) 84 / 2026 / नि0सं0 2726 दिनांक 06/10/26

प्रतिलिपिः– ✓ प्रोग्रामर, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

5/10/26

उप सचिव।